कर भिन्न राजस्व

(₹ करोड़)

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट 2024-2025	संशोधित 2024-2025	बजट 2025-2026
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ						
1. ब्याज प्राप्तियां						
1.01.	राज्य	0049	13555.62	14500.00	13981.86	17500.00
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	0049	85.64	75.00	60.00	80.82
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	65010.76	55649.00	69230.63	72657.16
1.03.01.	घटाइए - व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-40391.41	-32000.00	-49230.63	-42500.00
निवल-ब्याज प्राप्तियां			*38260.61*	*38224.00*	*34041.86*	*47737.98*
2. लाभांश और लाभ						
2.01.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	65381.65	56260.00	55000.00	69000.00
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष	0050	105495.32	232874.00	234284.60	256000.00
जोड़-लाभांश और लाभ			*170876.97*	*289134.00*	*289284.60*	*325000.00*
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ			**209137.58**	**327358.00**	**323326.46**	**372737.98**
राजकोषीय सेवाएं						
3. राजकोषीय सेवाएं						
3.01.	मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	178.28	180.00	133.40	212.98
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	1679.84	1654.41	1340.42	2105.70
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			*1858.12*	*1834.41*	*1473.82*	*2318.68*
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			**1858.12**	**1834.41**	**1473.82**	**2318.68**
सामान्य सेवाएं						
4. सामान्य सेवाएं						
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	111.94	122.00	110.06	209.06
4.01.02.	पुलिस	0055	13190.97	12673.10	12079.44	16953.24
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057	...	...	...	...
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	9.26	10.99	11.78	11.50
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	704.07	536.73	174.29	1080.99
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	6787.94	5882.76	5370.66	8053.75
4.01.07.	कारागार	0056	...	...	...	...
जोड़-प्रशासनिक सेवाएं			*20804.18*	*19225.58*	*17746.23*	*26308.54*
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	2608.86	2689.57	2734.68	3929.11
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां			*2608.86*	*1689.57*	*1734.68*	*2929.11*
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	32589.28	29337.13	33245.93	35028.10
4.03.02.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - कैंटीन भंडार विभाग की प्राप्तियां	0075	-28420.57	-26375.00	-30700.00	-30700.00
4.03.03.	घटाइए -प्राप्तियां	0075	-239.48	-556.37	-556.37	-231.01
निवल-विविध सामान्य सेवाएं			*3929.23*	*2405.76*	*1989.56*	*4097.09*
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	4460.93	4415.47	4961.56	4510.78

(₹ करोड़)

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट 2024-2025	संशोधित 2024-2025	बजट 2025-2026
4.04.01.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0076	-4460.93	-4415.47	-4961.56	-4510.78
निवल			...	...	...	...
4.04.02.	रक्षा सेवाएं - नौसेना	0077	886.27	750.00	870.00	870.00
4.04.02.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0077	-886.27	-750.00	-870.00	-870.00
निवल			...	...	...	...
4.04.03.	रक्षा सेवाएं - वायु सेना	0078	1717.41	1300.00	1500.00	1300.00
4.04.03.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0078	-1717.41	-1300.00	-1500.00	-1300.00
निवल			...	...	...	...
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	7.14	8.00	9.50	10.50
4.04.04.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0079	-7.14	-8.00	-9.50	-10.50
निवल			...	...	...	...
4.04.05.	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	0080	223.80	300.00	300.00	300.00
4.04.05.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0080	-223.80	-300.00	-300.00	-300.00
निवल			...	...	...	...
निवल-रक्षा सेवाएं			...	...	...	...
निवल-सामान्य सेवाएं			*27342.27*	*23320.91*	*21470.47*	*33334.74*
जोड़-सामान्य सेवाएं			**27342.27**	**23320.91**	**21470.47**	**33334.74**
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं						
5. सामाजिक सेवाएं						
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	1065.47	870.50	691.28	1683.25
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	2618.88	2400.68	1985.99	3638.59
5.03.	परिवार कल्याण	0211	36.19	55.02	19.42	19.42
5.04.	आवास	0216	531.43	694.46	649.89	869.30
5.05.	शहरी विकास	0217	0.59	...	...	...
5.06.	सूचना और प्रचार	0220	37.77	43.65	31.77	47.90
5.07.	प्रसारण	0221	972.93	951.01	814.53	1227.90
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	115.51	123.91	88.09	207.77
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	600.00	377.91	493.52	778.03
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	1089.09	1053.00	995.23	1472.15
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250	...	...	...	...
5.11.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0215	601.94	573.49	656.62	1243.15
निवल-सामाजिक सेवाएं			*7669.80*	*7143.63*	*6426.34*	*11187.46*
जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं			**7669.80**	**7143.63**	**6426.34**	**11187.46**
आर्थिक सेवाएं						
6. आर्थिक सेवाएं						
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल खेती	0401	553.75	556.25	528.40	846.91
6.01.02.	पशु पालन	0403	102.20	64.56	59.81	163.23
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	170.64	441.00	206.10	246.10
6.01.03.01.	घटाएं - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-141.94	-410.00	-175.00	-215.00
निवल			*28.70*	*31.00*	*31.10*	*31.10*
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	22.79	11.25	18.10	34.28
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	65.18	150.31	80.41	90.33
6.01.05.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0406	-2.22	-15.00	-8.00	-10.00
निवल			*62.96*	*135.31*	*72.41*	*80.33*
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	453.20	508.57	381.72	792.85
6.01.06.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0408	...	...	...	...
निवल			*453.20*	*508.57*	*381.72*	*792.85*

(₹ करोड़)

	कर भिन्न राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट 2024-2025	संशोधित 2024-2025	बजट 2025-2026
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	3.99	8.45	87.45	221.69
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	21.95	24.50	18.16	34.38
6.01.09.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0552	23.49	9.00	1.41	0.14
6.01.10.	सहयोग	0425	22.53	...	7.41	14.03
6.01.11.	भूमि सुधार	0506	40.68	100.00	18.53	67.09
निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप			*1336.24*	*1448.89*	*1224.50*	*2286.03*
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	57.52	50.00	44.47	109.19
6.02.02.	वृहत सिंचाई	0702	441.17	300.00	259.39	591.09
जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			*498.69*	*350.00*	*303.86*	*700.28*
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	3782.11	5556.02	5213.78	5798.75
6.03.01.01.	घटाएं - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - ईंधन माल सूची	0801	-2702.00	-4105.73	-4059.02	-4463.38
निवल			*1080.11*	*1450.29*	*1154.76*	*1335.37*
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	17352.35	15933.00	14277.33	21195.43
6.03.03.	कोयला और लिग्नाईट	0803	46.26	51.00	37.80	71.56
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	16.57	10.06	28.20	53.39
निवल-ऊर्जा			*18495.29*	*17444.35*	*15498.09*	*22655.75*
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	100.70	71.84	54.90	118.69
6.04.02.	उद्योग	0852	3686.41	3516.96	3507.52	4436.62
6.04.02.01.	घटाएं वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - ईंधन फैब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-2999.43	-2916.07	-2985.05	-2980.05
6.04.02.02.	घटाएं - क्षेत्र में अन्य प्राप्तियां	0852	-105.09	...	...	...
निवल			*581.89*	*600.89*	*522.47*	*1456.57*
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	1010.47	910.10	928.51	1363.87
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	226.31	334.00	287.58	326.80
6.04.04.01.	घटाएं : वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - अफीम और क्षार निर्माणियां	0875	-226.05	-334.00	-287.58	-326.80
निवल			*0.26*	*...*	*...*	*...*
निवल-उद्योग और खनिज			*1693.32*	*1582.83*	*1505.88*	*2939.13*
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	441.84	472.75	488.65	513.65
6.05.01.01.	घटाएं - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1051	-425.91	-450.00	-450.00	-475.00
निवल			*15.93*	*22.75*	*38.65*	*38.65*
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	107.92	93.12	84.60	160.16
6.05.03.	नागर विमानन	1053	278.12	328.98	393.97	844.39
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	28373.88	31260.00	25353.71	36600.00
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	13.97	...	11.12	21.05
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	11321.36	12238.77	12207.01	12487.11
6.05.06.01.	घटाएं - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - डाक	1201	-11321.36	-12238.77	-12207.01	-12487.11
निवल			*...*	*...*	*...*	*...*
6.05.07.	सड़क परिवहन	1055	7.47	...	9.00	9.00
निवल-परिवहन			*28797.29*	*31704.85*	*25891.05*	*37673.25*
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	90659.26	120267.31	123357.20	82442.84

(₹ करोड़)

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट 2024-2025	संशोधित 2024-2025	बजट 2025-2026
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	125.48	108.76	127.98	165.47
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	2927.83	2131.41	1144.45	1880.80
जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			*3053.31*	*2240.17*	*1272.43*	*2046.27*
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	471.44	566.70	408.08	784.91
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	6629.36	6418.49	4559.47	7221.73
6.08.02.01.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	0515	35.39	52.00	28.90	63.21
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			*6664.75*	*6470.49*	*4588.37*	*7284.94*
6.08.03.	पर्यटन	1452	29.24	14.05	7.41	14.03
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.35	0.28	...	...
जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं			*7165.78*	*7051.52*	*5003.86*	*8083.88*
निवल-आर्थिक सेवाएं			*151699.18*	*182089.92*	*174056.87*	*158827.43*
7.	***रेल राजस्व***					
7.01.	भारतीय रेल - विविध प्राप्तियां	1001	820.78	400.00	400.00	700.00
7.01.01.	घटाइए - विविध प्राप्तियां	1001	-820.78	-400.00	-400.00	-700.00
7.02.	भारतीय रेल- वाणिज्यिक लाइनें	1002	252540.84	275452.00	276714.00	299245.00
7.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	1002	-252540.84	-275452.00	-276714.00	-299245.00
7.03.	भारतीय रेल - सामरिक लाइनें	1003	2731.79	2648.00	1886.00	2155.00
7.03.01.	घटाइए- प्राप्तियां	1003	-2731.80	-2648.00	-1886.00	-2155.00
निवल- रेल राजस्व			*-0.01*	*...*	*...*	*...*
जोड़-आर्थिक सेवाएं			**151699.17**	**182089.92**	**174056.87**	**158827.43**
सहायता-अनुदान तथा अंशदान						
8.	***सहायता अनुदान और अंशदान***					
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	18.66	11.12	4.03	...
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	0.53	10.53	22.94	15.84
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	88.95	...	237.38	100.00
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605	...	...	...	...
जोड़-बहुपक्षीय			*108.14*	*21.65*	*264.35*	*115.84*
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	2.06	153.84	24.63	16.31
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	43.75	138.32	111.08	175.38
8.01.02.03.	जापान	1605	...	...	3.69	...
जोड़-द्विपक्षीय			*45.81*	*292.16*	*139.40*	*191.69*
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	636.76	725.00	714.17	807.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	10.72	...	7.84	10.00
जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय			*647.48*	*725.00*	*722.01*	*817.00*
जोड़-विदेश अनुदान सहायता			*801.43*	*1038.81*	*1125.76*	*1124.53*
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	211.31	5.00	50.00	50.00
जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान			*1012.74*	*1043.81*	*1175.76*	*1174.53*
जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान			**1012.74**	**1043.81**	**1175.76**	**1174.53**
संघ राज्य क्षेत्रों का गैठर कर राजस्व						
9.	***संघ राज्य क्षेत्रों के गैर कर राजस्व***	1710	3065.66	2910.32	3070.28	3419.18
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का गैठर कर राजस्व			**3065.66**	**2910.32**	**3070.28**	**3419.18**
कुल जोड़			***401785.34***	***545701.00***	***531000.00***	***583000.00***

1.1. राज्य: राज्यों को जारी ऋणों पर ब्याज प्राप्ति में अन्य के साथ - साथ निम्नलिखित पर ब्याज शामिल हैं : (क) गैर-योजना स्कीम (बाढ़ नियंत्रण) के अंतर्गत अलग अलग समय अवधि में पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को संवितरित ऋण; (ख) भिन्न ब्याज दरों पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को संवितरित पुराने ऋण, जिसके लिए अब एकरूप ब्याज दर निर्धारित की गई है; (ग) राज्य योजनागत स्कीमों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए संवितरित ऋण जिसकी परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है; (घ) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इसमें ब्लॉक ऋण, पुनर्वासन - अन्य देशों से आने वाले देश के नागरिक और संसाधन अंतर इत्यादि को कवर करने के लिए ऋण भी शामिल है।

1.2. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित): संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) को दिए गए ऋणों पर ब्याज

1.3. अन्य ब्याज प्राप्तियां: "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी सेवकों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज के सम्बन्ध में है। इन अनुमानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज शामिल है।

2. लाभांश और लाभ: इस भाग में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं: ये प्राप्तियां मुख्यत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभारों , के मद में अंशदान , आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.01. लोक सेवा आयोग: "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यत: संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को निरूपित करती हैं।

4.01.02. पुलिस: "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को आपूर्ति किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।

4.01.03. पूर्ति और निपटान: "आपूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यत: भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और महानिदेशालय, आपूर्ति तथा निपटान के जरिए अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के निपटान की बिक्री से हुई आय से सम्बन्धित हैं।

4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण: "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से प्राप्त राशियां हैं।

4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं: "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यत: लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से संबंधित हैं।

4.03.02. घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - कैंटीन भंडार विभाग की प्राप्तियां: वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट (सीएसडी) द्वारा उपलब्ध कराई गई रक्षा सेवाओं से सम्बन्धित हैं जिनका निपटान व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत किया जाता है।

5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति: "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यत: ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से भी सम्बन्धित हैं।

5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं के एवज में रोगियों से वसूल किए गए प्रभार आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

5.03. परिवार कल्याण: "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यत: सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।

5.04. आवास: "आवासन" प्राप्तियां मुख्यत: सरकारी आवासीय भवनों के लिए लाइसेंस शुल्क से संबंधित हैं।

5.06. सूचना और प्रचार: "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में रोजगार समाचार और अन्य विज्ञापन से प्राप्तियां, फिल्म डिविजन निदेशालय और आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन ब्यूरो (पूर्व में डीएवीपी) की प्राप्तियां शामिल हैं।

5.07. प्रसारण: डीटीएच प्रचालक, वाणिज्यिक सेवाएं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाएं (एफएम) और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क।

5.08. श्रम और रोजगार: "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यत: श्रम विधि, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।

5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्तयतः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।

6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप: इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियां शामिल है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री से आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।

6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण: इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यत: केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03. ऊर्जा: इस शीर्ष के अंतर्गत "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न खंडों से हुई प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.3.01. विद्युत: 'विद्युत' शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.03.02. पेट्रोलियम: 'पेट्रोलियम' शीर्ष के तहत अनुमान में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन पर रॉयल्टी से प्राप्तियां, पेट्रोलियम लाभ और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की विशेष खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क शामिल हैं। (क) खनिज तेल पर रॉयल्टी तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास अधिनियम, 1948) की धारा 6ए और समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 द्वारा विनियमित होती है। पी एंड एनजी नियम 1959 के नियम 14 के तहत कच्चे तेल, कंडेनसेट और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर रॉयल्टी देय है। ऑनलैंड क्षेत्रों से उत्पादन पर रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकार को और अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन पर केंद्र सरकार को देय है। किसी भी खनिज तेल, जिसमें कच्चा तेल भी शामिल है, के संबंध में रॉयल्टी की दर, जैसा भी मामला हो, तेल क्षेत्रों या कुओं पर खनिज तेल की बिक्री मूल्य के 20% से अधिक नहीं होगी। (ख) लाभ पेट्रोलियम: लाभ पेट्रोलियम का अर्थ है किसी विशेष अवधि के दौरान संपर्क क्षेत्रों से उत्पादित और बचाए गए पेट्रोलियम का कुल मूल्य, जिसे पेट्रोलियम की लागत से घटाकर गणना की जाती है और संगत करार /अनुबंध के अनुसार सरकार के साथ साझा किया जाता है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों को दिए गए नामांकन ब्लॉकों के लिए नो प्रॉफिट पेट्रोलियम देय है। (ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क (पीईएल) शुल्क: (i) पीईएल शुल्क एक लाइसेंसधारी द्वारा एक भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की विशेष खोज करने का अधिकार देने के विचार में किया जाता है। लाइसेंस शुल्क आम तौर पर लाइसेंस के क्षेत्र और अवधि से जुड़ा होता है और समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार लाइसेंसधारियों द्वारा देय होता है, (ii) तटवर्ती क्षेत्रों के मामले में पीईएल शुल्क संबंधित राज्य सरकार को और अपतटीय क्षेत्रों के मामले में केंद्र सरकार को जाता है (घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी): पीएलपी का अर्थ है कोल बेड मीथेन ब्लॉकों में संगत अनुबंध/करार के अनुसार निश्चित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के बाद भारत सरकार को किया जाने वाला भुगतान।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: "ग्रामीण और लघु उद्योग" शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02. उद्योग: "उद्योग" के अधीन प्राप्तियां मुख्यत: परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: "गैर अयस्क खनन और धातु-कर्म उद्योग" शीर्ष में मुख्यत: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के लेखे में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.5.04. सड़क और पुल: "सड़क और पुल" शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोग के लिए शुल्क और टोल से प्राप्तियों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग निधि (एमएनएचएफ) के मुद्रीकरण की आय सम्मिलित है। वहरहाल, एमएनएचएफ की प्राप्तियां, अब से अर्थात संशोधित अनुमान 2022-23 से, लेखांकन आवश्यकताओं के कारण पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत परिलक्षित होगी।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं: 'अन्य संचार सेवाओं' के तहत प्राप्तियां मुख्य रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण प्राप्तियों से संबंधित हैं। दूरसंचार विभाग अपने द्वारा लाइसेंस प्राप्त विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क एकत्र करता है। सार्वजनिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) शुल्क, रोमिंग शुल्क पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं को दिए जाने और बिक्री कर/सेवा कर जैसी स्वीकार्य कटौती के बाद समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8% पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। राज्य/केंद्र सरकार को उसके कुल राजस्व आंकड़ों से, जैसा कि कंपनी के लेखापरीक्षित खातों में दिखाई देता है। कैप्टिव उपयोग और कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस (सीएमआरटीएस) लाइसेंस के लिए लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क के लिए, टर्मिनलों, चैनलों और / या

नेटवर्क पूंजीगत लागत की संख्या के आधार पर निश्चित दरों पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा नए ऑपरेटरों से एकमुश्त प्रवेश शुल्क भी लिया जाता है। सेवाओं की मुख्य श्रेणी में शामिल हैं (i) बेसिक सर्विस, (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (सीएमटीएस), (iii) यूनिफाइड एक्सेस सर्विस (यूएएस), (iv) यूनिफाइड लाइसेंस, (v) इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (आईएलडी), (vi) राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीसैट लाइसेंस, (ix) सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाएं (पीएमआरटीएस), (x) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाएं (सीएमआरटीएस) , (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनर्विक्रय। लाइसेंस शुल्क दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत हिस्से के आधार पर एकत्र किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल) का एक घटक शामिल होता है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण देश में लाइसेंस शुल्क की दर, टैरिफ और दूरसंचार सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करता है। विभाग विभिन्न संस्थाओं से वायरलेस उपकरण रखने के लिए लाइसेंस शुल्क और रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए रॉयल्टी भी एकत्र करता है। सेवा प्रदाताओं से लगाए गए शुल्क को आमतौर पर स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में जाना जाता है और इसकी गणना या तो उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जो उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीएसएटी लाइसेंस) के लिए आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा या फ्लैट दरों पर या आधार पर निर्भर करता है। विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वीएसएटी आदि) से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाया जाता है और इसकी गणना उनके नेटवर्क के लिए आवंटित मात्रा के आधार पर उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बधित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: "अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यत: भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां है ।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व: रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अत: कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के गैर कर राजस्व: (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यत: प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन , पर्यटन तथा विद्युत से प्राप्त प्राप्तियां, आदि शामिल हैं।